न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 51/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार दुकान सं. 12ए, संतोष सागर कालोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर थाना ब्रह्मपुरी
2. श्री जीतू पुत्र कमलेश कुमार शर्मा निवासी संतोष सागर कालोनी, ब्रह्मपुरी।
3. श्री नन्दकिशोर पुत्र रामदेव रैगर निवासी चाकसू थाना चाकसू (रिक्शा चालक)

4. निर्णय दिनांक : 27.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री पी.डी. अग्रवाल अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 08.10.2015 को मय जांच दल के थाना सुभाष चौक पर पहुंच कर थाने पर पुलिस द्वारा पकडे गये 210 लीटर नीले रंग के केरोसीन मय लोहे के ड्रम की जांच की गई। उक्त 210 लीटर नीले रंग का केरोसिन मय लोहे के एक ड्रम (क्षमता 220 लीटर) रिक्शा ट्राली फ्रेम न. 378991 में रखा उक्त थाने के सामने पाया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बयान अनुसार 210 लीटर नीले रंग का केरोसिन तेल उचित मूल्य दुकान संख्या 12ए, श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा का है। केरोसिन तेल ले जाने वाला व्यक्ति जीतू उचित मूल्य दुकान स. 12ए के डीलर श्री कमलेश कुमार शर्मा का पुत्र है जिसने अपने पिता की दुकान से ही उक्त केरोसिन तेल लाना अपने बयान में स्वीकार किया है। जीतू पुत्र कमलेश की स्वीकारोक्ति के बाद उसके पिता श्री कमलेश कुमार शर्मा की संतोष सागर कालोनी ब्रह्मपुरी स्थित उचित मूल्य दुकान संख्या 12ए (प्राधिकार पत्र संख्या 713/93) की जांच की गई। उचित मूल्य दुकान पर मौजूद स्टॉक रजिस्टर की जांच में दिनांक 8.10.05 का प्रारम्भिक स्टॉक 864 लीटर दर्ज पाया गया। इस दिन बिक्री नहीं किये जाने के कारण स्टॉक में 864 लीटर केरोसिन तेल होना चाहिये था जबकि भौतिक सत्यापन में 3 ड्रमों में 495 नीटर नीला केरोसिन तेल ही मौके पर दुकान के बाहर रखा पाया गया। इस प्रकार 369 लीटर केरोसिन तेल कम पाया गया। वक्त जांच दुकान पर रेट लिस्ट बोर्ड पर केरोसिन का स्टॉक व मूल्य का प्रदर्शन नहीं पाया गया ना ही उच्चतम न्यायालय की रिट का प्रदर्शन किया जाना पाया गया। डीलर ने मौके पर वक्त जांच मांगने पर भी दुकान का यूनिट रजिस्टर पेश नही किया। दुकान भी प्राधिकार पत्र में अंकित स्थान पर नहीं पाई गई। माह सितम्बर 25 के वितरण रजिस्टर में राशनकार्ड नं. 00021 0315 का दोहरा इन्द्राज पाया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा 210 लीटर नीले रंग का केरोसीन मय एक लोहे के ड्रम व रिक्शा ट्रोली को जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, मौका बयान, सैम्पल नमूना आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। परन्तु दोनों ही अनुपस्थित चल रहे हैं। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 3 जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ सहअभियुक्त था। वह एक रिक्शा चालक था जो कि अब कहां मिलेगा मालूम करना असम्भव है। चूंकि केरोसीन रिक्शा ट्रोली अब बन्द हो गई है। प्रकरण अनावश्यक सह आरोपी की तामील में लम्बे समय से लम्बित चल रहा है। अतः इनके विरुद्ध प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली को अब लम्बित रखा जाना उचित नहीं समझते। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि दिनांक 08.10.2015 को जब्त उचित मूल्य दुकान पर बेचे जाने वाले केरोसीन का अवैध भण्डारण व परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थीगण ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण की जानकारी अप्रार्थीगण को होते हुए भी वह अपना पक्ष रखने एवं जब्त माल का दावा पेश करने हेतु उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थीगण ने जब्त केरोसीन व रिक्शा ट्रोली से संबधित कोई भी दस्तावेज मौके पर व आज तक पेश नहीं किये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने बयान दिया कि उक्त केरोसीन तेल अप्रार्थी संख्या 1 का है। अप्रार्थी संख्या 2 जो कि उचित मूल्य दुकान स. 12ए के डीलर श्री कमलेश कुमार शर्मा का पुत्र है जिसने अपने पिता की दुकान से ही उक्त केरोसिन तेल लाना अपने बयान में स्वीकार किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 3 नन्दकिशोर जो कि रिक्शा चालक है द्वारा रिक्शे से केरोसीन का परिवहन किया जा रहा था। प्रकरण में जो भी केरोसीन बरामद किया गया उसके सम्बन्ध में उचित मूल्य की दुकान सं. 12 ए (प्राधिकार पत्र संख्या 713/93) के डीलर श्री कमलेश द्वारा स्वयं बयानों में उचित मूल्य की दुकान का केरोसीन होना बताया। इससे स्पष्ट है कि रिक्शा ड्राइवर एवं रिक्शा केवल केरोसीन के परिवहन के कार्य में लिया जा रहा था। अप्रार्थी संख्या 1 की उचित मूल्य दुकान संख्या 12ए (प्राधिकार पत्र संख्या 713/93) की जांच की गई। उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक में 864 लीटर केरोसिन तेल होना चाहिये था जबकि भौतिक सत्यापन में 3 ड्रमों में 495 नीटर नीला केरोसिन तेल ही मौके पर दुकान के बाहर रखा पाया गया। इस प्रकार 369 लीटर केरोसिन तेल कम पाया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकान से संबधित दस्तावेज व अन्य नियमों संबंधी अनियमिततायें भी पाई गई। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः उक्त कृत्य खाद्यान्न व एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 कके खण्ड 3 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 3, 5, 8, 14 व 17 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त माल में से रिक्शा ट्राली जो केवल मात्र परिवहन में काम आ रही थी और केरोसीन का उससे अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण एवं अवैध विक्रय जैसा कोई सम्बन्ध होना जाहिर नहीं होता है। इसलिये रिक्शा ट्रोली को छोडकर शेष सामग्री फर्द जब्ती अनुसार 210 लीटर नीले रंग का केरोसीन मय एक लोहे के ड्रम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR